प्रतिवेदन शाखा

असंशोधित

10 JUL 2002

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

---

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बि० स० मु० (एल० ए०) 170—गोनो— 500— —20-2-2001—,

श्री महाबलि सिंह (मंत्री) : (क्रमश:)- लेकिन आवागमन अवरूद्ध नहीं है ।

3- मार्च, 2003 तक सड़क का पक्कीकरण कराने का लक्ष्य है ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, मंत्री जी ने जो कहा, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उस सड़क में अभी तक निर्माण कार्य में कितनी राशि खर्च की गई है ?

अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि मार्च, 2003 में यह पूरा हो जायेगा ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : पूरा तो हो जायेगा लेकिन उसके पहले जो पैसा खर्च हो रहा है, बरसात में मिट्टी ढह भी रहा है । महोदय, केन्द्रीय योजना मद से वह सड़क बन रही है और पैसे की लूट न हो । चूँकि शिकायत हो रही है कि वहाँ बनने के साथ सड़क की मिट्टी ढह रही है । चलने लायक स्थिति नहीं है । उस क्षेत्र को यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है । बताया गया कि 2003 तक इसको पूरा कर देंगे लेकिन अबतक कितना खर्च हुआ है ?

अध्यक्ष : आपके प्रश्न के खण्ड-3 में है कि सरकार पक्कीकरण कराने का विचार रखती है ? आपने जो बिन्दु उठाया, उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया । अब यह पूछ रहे हैं कि अबतक कितना खर्च हुआ है ।

श्री महाबलि सिंह (मंत्री) : महोदय, माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस योजना में जो खर्च हुआ है, मिट्टी कार्य 12 किलोमीटर में हुआ है । सेल्लुलर सब-बेस - 75....

अध्यक्ष : अभी तक कुल कितना खर्च हुआ है ?

श्री महाबलि सिंह सिंह (मंत्री) : कुल इसपर 35 लाख रूपया खर्च हुआ ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

## तारांकित प्रश्न संख्या- 803

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 1- ग्राम-भजनाहा, थाना - फुलपरास सं0-23 जिला - मधुबनी में दक्षिण गाईड बाँध निर्माण हेतु पुराना सर्वे खेसरा सं0-1359 का अधिग्रहण हुआ है लेकिन संबंधित पंचाट में श्री यशोधर प्रसाद यादव

एवं श्री निरंजन भिण्डवार पिता स्व0 सुन्दर लाल भिण्डवार, ग्राम - एकमा पो0- कलनिया, भाया - लौकहा, जिला- मधुबनी का नाम नहीं है।

पुराना खेसरा सं0 - 1359 के घोषित अनेक पंचाटियों को मुआवजा का भुगतान हो गया है। घोषित पंचाटियों में जिस व्यक्ति ने मुआवजा राशि नहीं लिया है उनकी राशि कोषागार में जमा कर दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खेसरा के भू-अर्जन प्रक्रिया के दौरान अपने दावे के संबंध में श्री यादव और श्री भिण्डवार ने कोई आपत्ति आवेदन नहीं दिया है जिससे उस पर विचार किया जा सके।

2- श्री यशोधर प्रसाद यादव एवं श्री निरंजन भिण्डवार के दावे के संबंध में छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री हरि प्रसाद साह : महोदय, सरकार कबतक उनको भुगतान करने का विचार रखती है ?

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री) : महोदय, पहले तो इसके लिए उनको दावा करना पड़ेगा। हमारा कहना है कि 1359 खेसरा नम्बर जो है, इसके सभी पंचाटियों का भुगतान कर चुके हैं। इनके कथन के अनुसार यदि उनकी जमीन है तो इसके लिए उनको पहले दावा पेश करना होगा। अभी कोई दावा विभाग के पास लम्बित नहीं है। पहले वे दावा करें कि यह जमीन उनकी है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 804

श्री महाबलि सिंह (मंत्री) : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है।

पथ का वास्तविक नाम दरभंगा-समस्तीपुर है जिसकी लम्बाई 38 किलोमीटर है। प्रश्नाधीन पथांश 36 से 38 किलोमीटर के बीच है।

वस्तुस्थिति यह है कि विगत वर्ष के बरसात से पथ की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में यातायात पुनर्स्थापन का कार्य कराया जा रहा है एवं 15 दिनों के अन्दर पुनर्स्थापन कार्य पूरा करा दिया जायेगा। इससे यातायात सुगम हो जायेगा।